

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/जीएनएम प्रशि. / X-06-10489 / 2025 / 154

दिनांक :- 28/3/2025

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जनरल नर्सिंग एवं गिडवाईफरी प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनोपरांत नर्सिंग कॉलेज आवंटन होने पर इस आदेश में वर्णित शर्तों के अध्याधीन संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को उनके अधीनस्थ पदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जीएनएम प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	कार्मिका का नाम (सुश्री / श्रीमती)	पाठ्यक्रम सत्र	आवंटन कैटेगरी	पदस्थापन स्थान
01.	सुमन कुमारी	2024-25	OBC In Sevice	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलनवाद, खण्ड लाडनू, डीडवाना-कुचामन
02.	लिक्षमा कुमारी	2023-24	OBC In Sevice	उप स्वास्थ्य केन्द्र राजोद खण्ड डेगाना, नागौर

शर्तों:-

- उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्मिका की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्थाईकरण हो गया हो नियमित नियुक्ति पश्चात न्यूनतम 05 वर्ष की राजकीय सेवा होना आवश्यक है।
- उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर नियमानुसार कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण में प्रवेश लेना होगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार अवकाश देय होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियमानुसार पदोन्नति का लाभ देय होगा, कार्मिका द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं जावेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी उपस्थिति निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का नियोजन इत्यादि स्वीकार नहीं करेगी।
- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- उक्त में से जिन कार्मिकाओं का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हें नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 05.07.2022, आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 एवं निदेशालय क आदेश क्रमांक 133 दिनांक 09.09.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जायेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 28/3/2025

क्रमांक:-ई-20/जीएनएम प्रशि. / X-06-10489 / 2025 / 154
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन/नागौर।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- सम्बन्धित कार्मिकाओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रमारी आईटी सैल, मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-03-2025 02:08:29